

## The Vice- President of India

### भारत के उपराष्ट्रपति

Part/भाग-V (Executive/कार्यकारी)

(Important Articles/अनुच्छेद: 63-71)

The Vice-President of India is the second highest constitutional post in the country.

भारत का उपराष्ट्रपति देश में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है।

**Article/अनुच्छेद 63-**

There shall be a Vice-President of India.

भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे।

Note/नोट-

The post has been borrowed from the Constitution of U.S.A

यह पद यू.एस.ए. के संविधान से लिया गया है।

**Article/अनुच्छेद 66-**

Election of Vice-President/उपराष्ट्रपति का चुनाव-

The Vice-president is elected by members of an electoral college consisting of the members of both the Houses of the Parliament.

उपराष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं।

The Vice-president is elected by members of an electoral college consisting of the members of both the Houses of the Parliament.

उपराष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं।

However, his election is different from that of the President as the state legislatures have no part in it.

हालांकि, उनका चुनाव राष्ट्रपति से अलग है क्योंकि राज्य विधायिकाओं का इसमें कोई योगदान नहीं होता है।

The Vice President is indirectly elected by means of the single transferable vote.

उपराष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है।

The election is held in accordance with the system of proportional representation and voting is done by the secret ballot.

चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार आयोजित किया जाता है और गुप्त मतपत्र द्वारा मतदान होता है।

Under The Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, the nomination of a candidate for election to the office of the Vice- President must be subscribed by at least 50 electors as proposers and 50 electors as seconders.

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के तहत, उपराष्ट्रपति कार्यालय के चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामांकन को कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 20 मतदाताओं के रूप में अनुमोदित किया जाना चाहिए।

**Qualifications for Vice-President of India-**

भारत के उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता-

He/she should be a citizen of India.

वह भारत का नागरिक होना चाहिए

Must be completed at the age of 35 years.

35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए;

Is qualified to be elected as a member of Rajya Sabha.

वह राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो

Should not hold any office of profit i.e. the candidate should not be a government servant.

वह लाभ के पद पर शामिल ना हो, अर्थात उम्मीदवार सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

The office of the President, the Vice-President, the Governor or the Minister of the Union or the State is not considered as an office of profit for this purpose.

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या संघ या राज्य मंत्री का कार्यालय इस उद्देश्य हेतु लाभ का कार्यालय नहीं माना जाता है।

**Article/अनुच्छेद 67-**

The term of office of Vice-President/उपराष्ट्रपति के कार्यालय की अवधि-

The Vice-President shall hold office for a term of five years.

उपराष्ट्रपति पांच साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे

A formal impeachment is not required for the Vice-President's removal.

उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है।

The Vice-President can be removed by a resolution of the Rajya Sabha passed by a majority of its members and agreed to by the Lok Sabha.

उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जो इसके अधिकांश सदस्यों द्वारा पारित किया जाता है और लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है।

**Article/अनुच्छेद 68-**

Time of holding an election to fill the vacancy in the office of Vice-President and the term of office of the person elected to fill the casual vacancy.

उपराष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति भरने के लिए चुनाव आयोजित करने का समय और आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए चुने गए व्यक्ति के कार्यालय की अवधि।

**Article/अनुच्छेद 69-**

Oath or affirmation of the Vice-President. (By President)

उपराष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान (राष्ट्रपति द्वारा)

A few other important points about the Vice President of India/भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु-

S. Radhakrishnan was the first Vice President of India and he held the post twice from 1952-1957 and then from 1957-1962.

एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और जिन्होंने दो बार 1952 से 1957 और फिर 1957 से 1962 तक पद संभाला।

Md. Hamid Ansari has replicated that i.e. from 2007-2012 and from 2012-2017.

मो. हमिद अंसारी ने इसे 2007-2012 और 2012-2017 तक दोहराया।

Shri Krishan Kant was the only Vice President (1927-2002) to have died in office.

कार्यकाल में मरने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति श्री कृष्ण कांत (1927-2002) थे।

The Vice Presidents who went on to become the Presidents – Dr. S. Radhakrishnan (13 May 1962 - 13 May 1967), Zakir Hussain (13 May 1967 - 3 May 1969), V.V. Giri (3 May 1969 - 20 July 1969), R. Venkataraman (25 July 1987 - 25 July 1992), S.D. Sharma (25 July 1992 - 25 July 1997), and K.R. Narayanan (25 July 1997 - 25 July 2002).

राष्ट्रपति बनने वाले उपराष्ट्रपति- डॉ एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी.वी. गिरि, आर वेंकटरामन, एसडी शर्मा, और के.आर. नारायणन।